

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेडा, जिला -

भीलवाडा

प्रशासन गांधी के संग अभियान-2021

::आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी करेडा II व भूअभिलेख निरीक्षक करेडा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बेलिना II पटवार करेडा हल्का करेडा II तहसील करेडा व जिला भीलवाडा की जमाबंदी संवत् 2073-2076 में खाता संख्या 171, 172 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं:-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	बेलिना II करेडा	171 172	गणपत्त सिंह पुग अरु सिंह	मौनू सिंह पुग अरु सिंह

उपखण्ड अधिकारी
करेडा, जिला-भीलवाडा

क्रमांक:- न्यायालय/2021/52

दिनांक:- 11/11/2021

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री मौनू सिंह पुग अरु सिंह

उपखण्ड अधिकारी
करेडा, जिला-भीलवाडा

